न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/10/2024	2024/17	02.04.2024	06.05.2024

1. रामधन पुत्र श्री मक्खन जाति मीना, निवासी ग्राम खरसनकी, तहसील गोविन्दगढ, जिला अलवर, राजस्थान।
2. रोहिताश श्री मक्खन जाति मीना, निवासी ग्राम खरसनकी, तहसील गोविन्दगढ, जिला अलवर, राजस्थान।

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गोविन्दगढ जिला अलवर।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध धारा 75 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 22.08.2023 नायब तहसीलदार गोविन्दगढ प्रकरण संख्या 02/2023।

उपस्थितः—

01. श्री सुरेन्द्र कुमार माथुर —वकील अपीलाण्ट्स
02. राजकीय अभिभाषक —वकील रेस्पोडेन्ट

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील नायब तहसीलदार गोविन्दगढ के निर्णय दिनांक 22.08.2023 प्रकरण संख्या 02/2023 जिसके द्वारा संवत 2079 में ग्राम खरसनकी तहसील गोविन्दगढ की आराजी खसरा न0 343 रकबा 0.05 है0 किस्म गै0मु0 चाह में से 0.01 है0 पर पक्की दीवार, लकडी कूडा डालकर अतिक्रमण करने पर 50 गुना पैनल्टी व बेदखली की कार्यवाही से व्यथित होकर पेश की है। अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं कि पटवारी हल्का द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की कि अपीलान्ट ने ग्राम खरसनकी के खसरा न0 343 रकबा 0.05 है0 किस्म गै0मु0 चाह पर पक्की दीवार, लकडी कूडा डालकर अतिचार किया है। और धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मिन अपीलान्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया किन्तु साक्ष्य सुनवाई का अवसर किये बिना ही बालाबाला मिन अपीलान्ट को अतिक्रमण मानते हुए आराजी मुतनाजा से बेदखल करने एवं अपीलान्ट निर्माण ध्वस्त करने का बेजा आदेश पारित किया है जिसकी जानकारी मिन अपीलान्ट को नहीं दी गई है और नाही कोई आदेश की नकल प्रदान की गई है। मिन अपीलान्ट द्वारा विवादित आराजी खसरा न0 343 पर कोई अतिक्रमण किसी प्रकार का नही किया हुआ है तथा पटवारी हल्का द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है वह खिलाफ मौका प्रस्तुत की है और प्रभावशाली व्यक्तियों के प्रभाव व दवाब में प्रस्तुत की है। उपरोक्त विवादित आराजी मिन अपीलान्ट की कब्जे काश्त खातेदारी

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

की आरजी है तथा मिन अपीलान्ट का जो निर्माण है वह मिन अपीलान्ट ने स्वयं की खातेदारी की आराजी में किया हुआ है। अपीलान्ट द्वारा आराजी खसरा न0 483/342 व 484/342 की पैमाईश हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया लेकिन उक्त पैमाईश विधि अनुसार नही होने पर पुनः श्रीमान जिला कलक्टर महोदय अलवर के समक्ष पीटी सर्वे कराने हेतु दिया जिस पर जिला कलक्टर महोदय द्वारा आदेश प्रसारित कर दिये किन्तु तहसीलदार साहब द्वारा आदेश की पालना नही की और अपनी स्वयं की मर्जी से बिना पीटी सर्वे आदेश जिला कलक्टर अलवर की पालना किये बिना विधि अनुसार पीटी सर्वे कराये मिन अपीलान्ट के विरूद्ध आदेश पारित कर दिये गये है। जबकि खसरा न0 343 पर हमारा कोई कब्जा नही है। विधि विरूद्ध तरीके से मिन अपीलान्ट के विरूद्ध कार्यवाही की है। पटवारी हल्का द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की है वह हमारी भूमि की जमीन को छोडते हुए मिन अपीलान्ट की भूमि की नपत नही करते हुए मिन अपीलान्ट की आराजी की बाबत रिपोर्ट तैयार की गई है, जो सरकारी भूमि को शामिल करते हुए नही की है। हमारे प्रार्थना पत्र पर पुनः उसी टीम द्वारा नपत की है जो पहले कर चुकी थी। बिना मौका पर जाये की है और रिपोर्ट तैयार कर दी है जो गलत है। तहत अदालत द्वारा कोई गौर नहीं किया जो काबिल गौर अदालत श्रीमान है एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। मिन अपीलान्ट कानून में आस्था व विश्वास रखने वाले ग्रामीण व्यक्ति है। अपीलान्टान द्वारा किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया हुआ है। ऐसी स्थिति में पारित निर्णय कानून सम्मत नहीं होने के कारण इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त आदेश हमें बिना तारीख दिये व बिना सुने पारित किया गया है उसकी कोई जानकारी मिन अपीलान्ट को नही है और नाही कोई नकल दी जा रही है इसलिए अपील हाजा के साथ आदेश की प्रति पेश नही की गई है लेकिन उक्त आदेश के तहत जो अतिक्रमण ध्वस्त करने हेतु नोटिस जारी किया गया है उसकी नकल प्रस्तुत की जा रही है। यह कि अन्य उज्रात वक्त बहस जुवानी अर्ज किये जावेगें। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहत अदालत मातहत नायब तहसीलदारी साहब गोविन्दगढ जिला अलवर का निर्णय निरस्त किया जावे। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। रैस्पोडैन्ट जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

बहस सुनी गई।

पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। वकील उभय पक्ष बहस पर चिन्तन–मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया। वकील अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस अंकन करवाया की अपीलान्ट द्वारा खसरा न0 343 पर कोई कब्जा नहीं किया है और मिन अपीलान्ट को साक्ष्य एवं सफाई का अवसर दिये बिना ही बाला बाला मिन अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुए बेदखल एवं निर्माण ध्वस्त करने के जो बेजा आदेश दिये हैं सही नहीं हैं। विवादित आराजी खसरा न0 343 पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण किया हुआ नहीं है तथा पटवारी हल्का ने प्रभावशाली व्यक्तियों के प्रभाव और दवाब में प्रस्तुत की है। अपीलान्ट द्वारा जो भी निर्माण किया है वह स्वयं की खातेदारी में किया है। जमीन नापने का प्रार्थना पत्र तहसीलदार एवं जिला कलक्टर को लगाई गई किन्तु तहसीलदार द्वारा मेरी जमीन की नपाई स्वतंत्र टीम द्वारा नहीं कराई गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं निर्णय का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट का 0.01 है0 भूमि पर अतिक्रमण बताया गया है। नाप रिपोर्टों में स्पष्टता का अभाव पाया गया है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

निर्णय विस्तृत पारित नहीं किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रकरण में स्वतंत्र टीम द्वारा नाप करने की मांग की है। अपील स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। न्यायालय नायब तहसीलदार गोविन्दगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.08.2023 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली इस आशय के साथ तहसीलदार गोविन्दगढ को प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में विधिवत राजस्व टीम जिसमें दो गिरदावर एवं दो पटवारी हो जो कि संबंधित हल्के से नहीं हों को गठित कर तहसीलदार अपनी स्वयं की देख–रेख में सीमांकन का कार्य प्रभावित पक्षों की उपस्थिति में करवाने की सुनिश्चितता करें और यदि सीमांकन के पश्चात कोई अतिक्रमण पाया जाता है तो विधिवत प्रकरण दर्ज कर एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विस्तृत निर्णय एक माह की अवधि में पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 06.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी0 आर0 मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

न्या० अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि०
राजस्थान
सरकार
प्रशासन (द्वितीय) अलवर